न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/6ए/05/2020

राज.सरकार जरिये सुबोध कुमार प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी (प्रथम) कार्यालय भरतपुर ।

.....प्रार्थी

बनाम

श्री भावसिंह उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नम्बर 40 शहर भरतपुर

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 बाबत।

निर्णय

दिनांक 28.10.2021

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट पेश किया गया। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 25.09.2020 को उचित मूल्य दुकानदार भावसिंह वार्ड नम्बर 40 शहर भरतपुर की दुकान पर मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण में पाया कि पोस मशीन की रिपोर्ट अनुसार गेहूं की मात्रा के अन्तर्गत गेहूं (स्टेट) 124 किग्रा, गेहूं (अतिरिक्त) 597 किग्रा, गेहूं (एपीएल) 1067 किग्रा, गेहूं (बीपीएल) 1376 किग्रा कुल गेहूं का स्टॉक 3164 किग्रा दर्ज पाया गया। चना/दाल (नियमित/अतिरिक्त) 800 किग्रा, कैरोसीन व चीनी की मात्रा निल दर्ज थी। चना पोस मशीन के अनुसार 4762 किग्रा दर्ज मिला जबकि भौतिक सत्यापन में चना 12 किग्रा मिला। पोस मशीन में चना 4750 किग्रा अधिक डीलर की गलती से इन्द्राज किया जाना पाया गया। भौतिक सत्यापन में गेहूं के 84 कट्टे (50 किग्रा प्रति कट्टा) व 200 किग्रा खुला गेहूं कुल गेहूं की मात्रा 4400 किग्रा तथा 16 कट्टे चने के कुल 800 किग्रा चना मिला। जो कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत गेहूं वांछित मात्रा से 1236 किग्रा व चना 683 किग्रा अधिक पाया गया, जिसके सबंध में राशन डीलर द्वारा कोई संतोषप्रद जबाब नही दिया और न ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये । इस प्रकार डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

राशन सामग्री वितरित नही कर कालाबाजारी करने की नियत से बचाई गई है। डीलर के विरूद्व उक्त अनियमितता कर राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 का उल्लंघन कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन कर 1236 किग्रा गेहूं व 683 किग्रा चना को जप्त सरकार कर मौके पर ही उचित मूल्य दुकानदार चेतन मीणा वार्ड न0 40 शहर भरतपुर को सुपुर्द किया गया। अतः जप्त 1236 किग्रा गेहूं व 683 किग्रा चना को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस धारा 6बी ईसी एक्ट जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से जबाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार ने जाहिर किया कि डीलर द्वारा गेहूं व चना का सबंधित उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का वितरण न कर उन्हें खाद्य सुरक्षा योजना से मिलने वाली राशन सामग्री से वंचित किया गया है व डीलर द्वारा 1236 किग्रा गेहूं व 683 किग्रा चना को कालाबाजारी करने की नियत से उपभोक्ताओं को राशन वितरण नही किया गया है। अन्त में पैरोकार सरकार ने 1236 किग्रा गेहूं व 683 किग्रा चना को राजसात करने का निवेदन किया गया है।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने कथनों में जाहिर किया कि डीलर की दुकान पर मिले अतिरिक्त 1236 किग्रा गेहूं व 683 किग्रा चना उपभोक्ताओं के है, जो कि राशन सामग्री को ले जाने में असमर्थ रहने के कारण राशन की दुकान पर छोड गये थे। अप्रार्थी ने राशन वितरण में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नही की है। अप्रार्थी के विरूद्व किसी भी राशन उपभोक्ता द्वारा राशन वितरण से सबंधित कोई शिकायत नहीं की गई है। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा कथन किया है कि राशन की दुकान में मौजूद अतिरिक्त राशन उपभोक्ताओं का है व अप्रार्थी की राशन वितरण में कोई अनियमितता की शिकायत नहीं है। प्रार्थना पत्र धारा 6ए को खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया। वक्त जॉच प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा 1236 किग्रा गेहूं व 683 किग्रा चना अधिक पाया जाना मुख्य आरोप है। डीलर द्वारा उक्त खाद्य सामग्री का राशन सामग्री प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं को खाद्यान्न से वंचित रखा गया है। डीलर द्वारा अपने जबाब में कथन किया है कि उक्त सामग्री उपभोक्ताओं की थी, जो कि कतई गलत है कि कोई उपभोक्ता अपनी खाद्य सामग्री को डीलर के पास क्यो रखेगा। राशन डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को राशन वितरण न कर कालाबाजारी की नियत से आवंटित खाद्यान्न को वितरण नही किया गया है। अप्रार्थी द्वारा अधिक पाये गये खाद्यान्न से सबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य आदि प्रस्तुत

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

नही किये गये है। अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 का उल्लंघन कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन की श्रेणी में आता है। अतः जप्त 1236 किग्रा गेहूं व 683 किग्रा चना गेहूं को राजसात किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मोके पर जप्त 1236 किग्रा गेहूं व 683 किग्रा चना को राजसात (Confiscate) किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

निणर्य आज दिनांक 28.10.2021 को सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर,
भरतपुर